an>

Title: Regarding missing children in the country.

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे गुमशुदा बच्चों संबंधी अति संवेदनशील विÂाय को सदन में उठाने की अनुमति दी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे संरक्षण भी चाहता हूं। देश में हर साल हजारों की संख्या में बच्चे गुमशुदा होते हैं जिनमें से कुछ बच्चे ही अपने घर लौट पाते हैं, बाकी बच्चे अखबारों की सुर्खियां बनकर रह जाते हैं। गुमशुदगी अचानक नहीं होती बल्कि अपराध जगत द्वारा सुनियोजित ढंग से की जाती है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले वÂाऩ संसद में बताया था कि वर्ष 2011 से 2014 के बीच 3.25 लाख बच्चे भारत से गायब हुए। जिनमें 55औ लड़कियां थीं और 45 औ लड़कों का कुछ पता नहीं चल पाता है। देश में हर वÂाऩ एक लाख और प्रति दिन 296 बच्चे गायब होते हैं। ...(व्यवधान) रÂट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 2004-05 में अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया था कि जिन बच्चों का पता नहीं लगता वे वास्तव में लापता नहीं होते हैं, बल्कि उनसे अवैध व्यापार कराया जाता है। ...(व्यवधान) 80औ गायब हुए बच्चों की तलाश में पुलिस प्रशासन कोई रुचि नहीं दिखाती है। आयोग के अनुसार हर वÂाऩ 45,000 बच्चे गायब होते हैं और इनमें से 11,000 बच्चे कभी नहीं मिलते हैं।

मैं माई होम इंडिया के संबंध में उल्लेख करना चाहता हूं। ...(व्यवधान) देश की राजधानी दिल्ली भी बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है। पुलिस के दावे और जागरूकता के बावजूद दिल्ली में 2015 में 31 दिसम्बर तक कुल 7928 बच्चे लापता हुए, 2014 में 6428 बच्चे लापता हुए। एक वर्ष की अवधि में दिल्ली से गायब होने वाले बच्चों की संख्या में 1500 की वृद्धि हुई। ...(व्यवधान) गुमशुदा बच्चों के माता-पिता को हमेशा उम्मीद रहती है कि उनका बच्चा लौट कर आएगा, लेकिन कई महीने और साल बीतने के बाद भी यह उम्मीद धीरे-धीरे क्षीण हो जाती है।

अध्यक्ष महोदया, माई होम इंडिया एक संस्था है। आदरणीय सुनील देवधर जी देश भर में चाहे नार्थ ईस्ट हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो या बिहार हो, ऐसे लापता होने वाले बच्चों के संबंध में पता करके उनकी टीम उन बच्चों को घर तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। ...(व्यवधान) रेल राज्य मंत्री जी द्वारा ऐसे बच्चों का पता लगने पर उनका रिजर्वेशन कन्फर्म करा कर नार्थ ईस्ट और देश के बाकी राज्यों तक भेजा जा रहा है। ...(व्यवधान)

मैं सरकार से मांग करता हूं कि राज्य सरकारों से समन्वय करके एक व्यापक रणनीति के तहत बाल तस्करी में सम्मिलित अपराधिक गुटों का पता लगाकर तत्काल कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष :

श्री सुधीर गुप्ता,

श्री रोड़मल नागर,

श्री सी.पी.जोशी,

श्री आलोक संजर,

श्री शरद त्रिपाठी,

कँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और

श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।